न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 128/2017

1 राधेश्याम पुत्र जगदीश प्रसाद टीबडेवाल जाति महाजन निवासी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी 14–6–23/10 बैठा वाडी बैगन बाजार हैदराबाद।
2 मुरारीलाल पुत्र भगवानदास टीबडेवाल जाति महाजन निवासी बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 संतोष कुमार पुत्र गुलाब राय टीबडेवाल जाति महाजन निवासी बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी हाउस नम्बर 1–7–531/2/1/1 जैमिनी कॉलोनी जामिस्तानुपरा हैदराबाद समस्त जरिये पावर ऑफ ढढोर्नी रविन्द्र कुमार पारीक पुत्र छगनलाल पारीक निवासी बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक गिरधारीलाल पुत्र नाराणा जाति रैगर निवासी बड़ा गांव नौः दौराने अपील देहान्त हो गया।
1/1 कन्हैयालाल पुत्र गिरधारीलाल।
1/1/1 महेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल।
1/1/2 रूकमणी पत्नी कन्हैयालाल समस्त जाति रैगर निवासीगण बड़ा गांव वार्ड नम्बर 16 तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/1/3 सुमन पुत्री कन्हैयालाल पत्नी हीरालाल जाति रैगर निवासी सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/1/4 मन्जू पुत्री कन्हैयालाल स्त्री महेश जाति रैगर निवासी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/2 बाबूलाल पुत्र गिरधारीलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/3 ऊकार पुत्र गिरधारीलाल।
1/4 सुभाष पुत्र गिरधारीलाल।
1/5 हीरालाल पुत्र गिरधारीलाल समस्त जाति रैगर निवासीगण वार्ड नम्बर 16 बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/6 भगवानी पुत्री गिरधारीलाल स्त्री बाबूलाल जाति रैगर निवासी गुढ़ा जिला झुंझुनू।
1/7 बिमला पुत्री गिरधारीलाल स्त्री बाबूलाल जाति रैगर निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
1/8 साकी पुत्री गिरधारीलाल स्त्री रतनलाल जाति रैगर निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।
1/9 मीरा पुत्री गिरधारीलाल स्त्री अमरसिंह जाति रैगर निवासी राणी सती के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
1/10 मृतक मदन पुत्र गिरधारीलाल।
1/10/1 नरेश पुत्र मदन।
1/10/2 राजकुमार पुत्र मदन।
1/10/3 विकास पुत्र मदन।
1/10/4 आसी देवी पत्नी मदन।
1/10/5 सुमित्रा पुत्री मदन।
1/10/6 सलोचना पुत्री मदन।
1/10/7 ममता पुत्री मदन समस्त जाति रैगर निवासीगण वार्ड नम्बर 16 बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 मोहनलाल पुत्र सीताराम।
3 बुद्धराम पुत्र सीताराम।
4 जगदीश पुत्र नारायण।
5 लिछमनराम पुत्र नारायण।
6 रामजीलाल पुत्र नारायण।
7 ओमप्रकाश पुत्र मातुराम समस्त जाति रैगर निवासीगण बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

8 कन्हैयालाल पुत्र रामकिशन।
9 प्रहलाद पुत्र रामजीलाल।
10 परमेश्वरी स्त्री जगदीश समस्त जाति महाजन निवासीगण बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
11 लीलता पुत्री भगवानदास।
12 सरोज पुत्री भगवानदास।
13 मन्जू पुत्री भगवानदास।
14 कुसुम पुत्री भगवानदास।
15 अन्नू पुत्री भगवानदास।
16 द्रोपती पत्नी भगवानदास समस्त जाति महाजन निवासीगण बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
17 प्रेमचन्द पुत्र सीताराम जाति रैगर निवासी बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी।
18 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
19 जगदीश पुत्र भागूराम।
20 रामधन पुत्र भागूराम।
21 बुद्धाराम पुत्र भागूराम।
22 रतीराम पुत्र भागूराम।
23 इन्द्राज पुत्र भागूराम समस्त जाति मीणा निवासीगण बड़ा गांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2017
संशोधित निर्णय व डिक्री 24.04.2017 उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी
बमुकदमा गिरधारीलाल बनाम कन्हैयालाल आदि
मुकदमा नम्बर 122/2008

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री भगवान सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बाबुलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 122/2008 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण गिरधारी, मोहन, बुद्वराम, जगदीश, लिछमण, रामजीलाल एवं ओमप्रकाश की और से भूमि खसरा नम्बर 704 हाल खसरा नम्बर 757 वाके ग्राम हांसलसर बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 गुलाबराम का देहान्त दिनांक 22.02.2008 को एवं प्रतिवादी संख्या 4 भगवान दास का देहान्त दिनांक 06.08.2005 को दौराने दावा हो गया था। विचारण न्यायालय में मृत प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना दिनांक 07.06.2017 को विचाराधीन आदेश से दावा डिक्री किया है जबकि विधि अनुसार दावा अबैट हो चुका था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया है। कैम्प कोर्ट में उपस्थिति हेतु पक्षकारान को अथवा उनके अधिवक्ता को सुचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में पावर ऑफ अटोरनी के आधार पर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जवाब दावें में हस्ताक्षर नही है, जवाब दावा तस्दीक नही है, दिनांक अंकित नही है। मोहनलाल का सत्यापन नही है। ऐसी स्थिति में जवाब विधि अनुसार पठनीय नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में आर. आर.टी. 2010 (2) पेज 1207 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि निर्णयाधीन भूमि खसरा नम्बर 757,1162/1593 व 756। कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर ग्राम हांसलसर पर खातेदारान का कब्जा अपील के बिन्दु नम्बर 02 में बताये अनुसार नही है। पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा ग्राम के मोजीज व्यक्तियों के सामने दिनांक 19.09.2004 को जांच के दौरान पाया गया कि खसरा नम्बर 757 पर मौके पर बनाये गये नक्शे के अनुसार बिन्दु संख्या GHIJF के मध्य कब्जा वादीगण गिरधारी, मोहन,बुद्वराम, जगदीश, लक्ष्मण, रामजीलाल, ओमप्रकाश व प्रतिवादीगण प्रेमचन्द व ईश्वरलाल का पाया गया था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय मैरिट के आधार पर किया है। अपीलांट व रेस्पोडेंट्स का बेरोकटोक कब्जा बताना असत्य है न्यायालय द्वारा मौका जांच कराये जाने के दौरान यह तथ्य गलत पाया गया है। दावे के दौरान प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने जरिये मुख्त्यारनामा जवाब दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 7 से 12 बावजूद तामील उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। इस दावे बाबत सूचना नही होने पर कथन असत्य है यह न्यायालय के निर्णय से सिद्व है। प्रतिवादी 3 व 4 के तामिल नही होने की बात गलत है इनका जवाब मुख्त्यारनामा के मार्फत आये है। पावर ऑफ अटोनी न्यायालय की पत्रावली में पेश हुई है किसी को पावर ऑफ अटोनी नही दिये जाने की बात भी असत्य है। क्योंकि पावर ऑफ अटोनी श्री मोहनलाल पुत्र झाबरमल जाति मेघवाल निवासी हमीरवास तहसील झुंझुनू के मुख्तयार खास द्वारा दावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कन्हैयालाल बनाम भागु आदि वाद संख्या 41/2003 पेश किया गया था। इससे सिद्व है की उक्त मुख्तयारनाम की बात सत्य है। पावर ऑफ अटोनी न्यायालय में पेश होने पर ही मुख्तयार से जवाब न्यायालय ने स्वीकार किया है यदी वह फर्जी है तो उसे निरस्त कराने का दायित्व अपीलांट्स का है। जवाबदावा जरिये मुख्तयारखास दिया गया है जिसका अंकन पत्रावली पर व निर्णय में किया गया है। जब न्यायालय में पावर ऑफ अटोनी पेश किया गया है तब ही तो उसे जवाब दावा देने का अवसर दिया गया है। इसी प्रकार पॉवर ऑफ अटोनी श्री मोहनलाल पुत्र झाबरमल जाति मेघवाल निवासी हमीरवास तहसील झुंझुनू के मुख्तयार खास द्वारा दावा कन्हैयालाल बनाम भागु आदि वाद संख्या 41/2003 पेश किया गया था। इससे सिद्व है कि उक्त मुख्तयारनाम की बात सत्य है। उक्त दावे की प्रति संलग्न है। ग्राम पंचायत हांसलसर में लगाये गये" प्रशासन गांवो की ओर अभियान" के अन्तर्गत शिविर के दौरान कैम्प कोर्ट में निर्णय व डिक्री की गयी है इस बाबत राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी किये गये थे। वाद में प्रतिवादीगण को नोटिस के तामील होने के बावजूद न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी थी। न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज जवाबदावा आदि के आधार पर ही निर्णय किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के देहान्त से पूर्व तामील हो चुकी थी उनके देहान्त के बाद वारिसान को कायम मुकाम घोषित करवाना चाहिये था। वाद के समय जो रिकोर्डेड खातेदार थे, उन्हे पक्षकार बनाया गया। अपीलांट्स का कब्जा होने बाबत कथन सही नही है न्यायालय द्वारा जांच दिनांक 19.09.2004 में इस कथन की पुष्टि होती है। प्रदर्श 6 नक्शा शीट के अनुसार भी खसरा नम्बर 757 दो भागो में विभाजित है जिससे भी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 व 17 का कब्जा काश्त सिद्व है। दावा 2004 में किया गया था उस वक्त रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया गया है। मौका जांच राजस्व अधिकारियों द्वारा मौजिज व्यक्तियों के सामने करवाई गयी है। पत्रावली पर गवाह पेश हुये है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पक्षकारो को जरिये मुख्तयार जवाब दावा आया है न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर निर्णय पारित किया गया है अत अपील सारहीन होने से निरस्तनीय है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 गुलाबराम का देहान्त दिनांक 22.02.2008 को एवं प्रतिवादी संख्या 4 भगवान दास का देहान्त दिनांक 06.08.2005 को दौराने दावा हो गया था। विचारण न्यायालय में मृत प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना दिनांक 07.06.2017 को विचाराधीन आदेश से दावा डिक्री किया है जबकि विधि अनुसार दावा अबैट हो चुका था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया है। कैम्प कोर्ट में उपस्थिति हेतु पक्षकारान को अथवा उनके अधिवक्ता को सुचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर